

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/( )/2019/  
दिनांक:—

आदेश

श्रीमती कृष्णा शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी), उपकेन्द्र, देवडावास, खण्ड देवली, टोंक को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम 110- 112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 26.05.2018 से 25.05.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 26.05.2020 से 22.09.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 23.09.2020 से 25.05.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 21-8-20

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(249/19)/2019/ 1268

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक को उनके पत्र क्रमांक 227 दिनांक 21.06.2019 के क्रम में।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवली, टोंक।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर